झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम झारखण्ड विधान सभा

नवम(माँनसून) सत्र

संख्या-03

मंगलवार, दिनांक-02 अगस्त, 2022 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 04.02 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकांशतः माननीय सदस्य स्लोगनयुक्त पोस्टर के साथ विभिन्न माँगों को लेकर सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे।)

1.प्रश्नकाल:-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-17

(क) उत्तरित कुल-05, अ० सू०-20, श्री सरयू राय, स०वि०स०,

अ० सू०-22, श्री नलिन सोरेन, स०वि०स०,

(इस अवसर पर सदन की वेल में आये हुए माननीय सदस्य आसन के निदेश से अपने-अपने स्थान पर बैठ गये।)

अ० सू०-23, श्री अनन्त कुमार ओझा, स०वि०स०,

अ० सू०-24, श्री प्रदीप यादव, स०वि०स०,

(इस क्रम में पुनः भारतीय जनता पार्टी के अधिकांशतः माननीय सदस्य सदन की वेल में आकर पूर्व की भाँति नारेबाजी करने लगे।)

अ० सू०-25, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, स०वि०स०।

(ख) अपृष्ठ मात्र-01, अ० सू०-21, श्री अमित कुमार मण्डल, स०वि०स०।

(ग) अनागत कुल-11, अ० सू०-26 से लेकर अ० सू०-36 तक।

इस अवसर पर शनैः-शनैः भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य सदन की वेल में धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे जिससे सदन में भारी अव्यवस्था का माहौल कायम हो गया। इसपर आसन द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य सर्वश्री, भानू प्रताप शाही, ढुलू महतो, जयप्रकाश भाई पटेल एवं श्री रणधीर कुमार सिंह को सत्र की शेष अवधि (अंतिम दिन के पहले दिन तक) के लिए सदन से निलम्बित किये जाने की घोषणा की गयी तत्पश्चात् अव्यवस्था के महौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 11.40 बजे पूर्वा० से लेकर 12.30 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी। इस कारण अन्य प्रश्न नहीं लिये जा सके।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य,श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह ने स्थगन के पूर्व चार माननीय सदस्यों के निलम्बन को असंवैधानिक बताया,परन्तु व्यक्तिगत टिप्पणी पर आसन द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी।)

क्र० पृ० उ०

2.शून्यकाल की सूचनायें:-

नियमानुसार आज के लिए प्राप्त शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ मानते हुए लिखित उत्तर हेतु सम्बन्धित विभागों में भेजे जाने का निदेश आसन द्वारा दिया गया।

3.ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें:-

माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र सिंह द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकांशतः माननीय सदस्य पूर्व की भाँति सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे।)

4.वित्तीय कार्य:-

आसन से पुकारे जाने पर योजना सह वित्त विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री, डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा वित्तीय वर्ष-2022-23 के प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित मांग संख्या-4 ''मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)'' से सम्बन्धित मांग प्रस्तुत की गयी जिसपर माननीय सदस्य, डॉ० लम्बोदर महतो ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

5.वित्तीय कार्य (क्रमांक-4 से जारी):-

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरणी पर चर्चा में भाग लिये जाने हेतु दलगत समय आवंटन की घोषणा आसन से की गयी तत्पश्चात् आसन की अनुमति से माननीय सदस्य, डॉ० लम्बोदर महतो ने चर्चा प्रारम्भ की।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य,श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा तदुपरांत श्री बिरंची नारायण और माननीय सदस्य, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह ने अन्तराल के पूर्व भाजपा के चार माननीय सदस्यों के निलम्बन को नियम विरूद्ध बताया जिसके विरोध स्वरूप भाजपा के सम्पूर्ण माननीय सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

इसके उपरांत निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया-

श्री सुदिव्य कुमार,

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,

श्री प्रदीप यादव,

श्री विनोद कुमार सिंह तदुपरांत प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित मांग संख्या-4 ''मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)'' में सम्मिलित मांगे बारी-बारी से गिलोटिन (मुखबन्द) के माध्यम से सभा द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुई तथा माननीय सदस्य, डॉ० लम्बोदर महतो द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

6.विधायी कार्य:-

राजकीय (वित्त)विधेयक

झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक-2022

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

कृ० पृ० उ०

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 एवं 03, अनुसूची, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् "**<u>झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक-2022</u>**" सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

इसके उपरांत सरकार की ओर से माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ने उत्तर दिया तदुपरांत सभा की कार्यवाही बुधवार, **दिनांक-03.08.2022 के 11.00 बजे पूर्वा०** तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,

दिनांक- 02 अगस्त, 2022 ई०।

सैयद जावेद हैदर,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा।